संख्या- 8 /2016/वे0आ0-2-116/दस-16-08(मु0स0स0)/2011टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं
परिवार कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 19 फरवरी, 2016

विषय:- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लैब टेक्नीशियन संवर्ग की वेतन विसंगति से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति को सन्दर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लैब टेक्नीशियन संवर्ग की वेतन विसंगति से सम्बन्धित प्रकरण मुख्य सचिव समिति को सन्दर्भित हुआ। उक्त प्रकरण पर विचार किये जाने हेतु दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 को मुख्य सचिव समिति की बैठक सम्पन्न हुयी।

2- मुख्य सचिव समिति की उपर्युक्त बैठक दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 का कार्यवृत्त संलग्न कर प्रेषित है। कृपया अवगत होना चाहें।

भवदीय,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

अजय अग्रवाल
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या- 8/2016/वे0आ0-2-116(1)/दस-16-08(मु0स0स0)/2011टी0सी0, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

1- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
2- कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,

रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

मुख्य सचिव समिति की दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 को सम्पन्न उपर्युक्त बैठक में निम्न अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया :—

(i) श्री राहुल भटनागर, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग — सदस्य

(ii) श्री राजीव कुमार, प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग — सदस्य

(iii) श्री अरविन्द कुमार, प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग — सदस्य

(iv) श्री अजय अग्रवाल, सचिव, वित्त विभाग —सदस्य सचिव

2— मुख्य सचिव समिति की बैठक हेतु निर्धारित ऐजेन्डा के अनुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लैब टेक्नीशियन सवंर्ग की वेतन विसंगति से सम्बन्धित विषय को समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

3— उक्त के सम्बन्ध में बैठक में मुख्य सचिव समिति को निम्नवत अवगत कराया गया :—

(1) राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद् के प्रत्यावेदन दिनांक 21 सितम्बर, 2015 के माध्यम से लैब टेक्नीशियन संवर्ग की वेतन विसंगति के सम्बन्ध में मुख्य सचिव समिति में पुनर्विचार हेतु प्रस्तुत किये जाने की मॉग की गयी है। उक्त प्रत्यावेदन दिनांक 21 सितम्बर, 2015 पर मुख्य सचिव महोदय द्वारा प्रकरण को मुख्य सचिव समिति के समक्ष रखे जाने के निर्देश दिये गये। साथ ही पत्र से संलग्न डाक्यूमेन्ट्स को भी देखने के निर्देश दिये गये। उक्त आदेशों के कम में प्रकरण मुख्य सचिव समिति के विचारार्थ रखे जाने का निर्णय लिया गया।

(2) राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद् के प्रत्यावेदन दिनांक 21 सितम्बर, 2015 से संलग्न उ0प्र0 के प्रयोगशाला प्राविधिक संघ के प्रत्यावेदन दिनांक 19 अगस्त, 2015 के साथ भारत सरकार की अधिसूचना संख्या A-28020/11/ 2008 PMS (Part-1) दिनांक 17 जुलाई, 2015 संलग्न कर यह इंगित किया गया कि उक्त अधिसूचना के माध्यम से अस्पतालों में कार्यरत लैब टेक्नीशियन स्टाफ का पुनर्गठन एवं पदनाम परिवर्तन करते हुए लैब टेक्नीशियन का पी0वी0—2 एवं ग्रेड पे रु0 4200/— कर दिया गया है। उक्त स्थिति में प्रदेश में लैब टेक्नीशियन के कार्य एवं उत्तरदायित्वों के दृष्टिगत लैब टेक्नीशियन के

पद पर सीधी भर्ती की अर्हता बढ़ाते हुए वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/– अनुमन्य कराने की मॉग की गयी।

(3) उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 17 जुलाई, 2015 से संलग्न तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि संवर्ग के सम्बन्ध में मिनिस्टरी ऑफ हेल्थ एण्ड फैमिली वेलफेयर द्वारा किये गये प्रस्ताव तथा प्रस्ताव के सम्बन्ध में किये गये निर्णय के अनुसार संवर्ग के प्रथम एवं द्वितीय स्तर के पद का विवरण निम्नवत् है :––

क0 सं0	पदनाम (वेतनमान)	भर्ती की प्रकिया/ अर्हता
(1)	(2)	(3)
1	जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट **(ग्रेड वेतन रु0 2800/–)**	100 प्रतिशत सीधी भर्ती इण्टरमीडिएट विज्ञान तथा मेडिकल लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा के साथ 01 वर्ष का अनुभव।
2–	मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट **(ग्रेड वेतन रु0 4200/–)**	50 प्रतिशत सीधी भर्ती तथा 50 प्रतिशत पदोन्नति। बैचलर डिग्री इन मेडिकल लाइब्रोरेटरी साइंस के साथ 02 वर्ष का अनुभव।
3–	टेक्नीकल आफिसर (एम0एल0टी0) **(ग्रेड वेतन रु0 4600/–)**	शत्–प्रतिशत पदोन्नति द्वारा।
4–	सीनियर टेक्नीकल आफिसर (एम0एल0टी0) **(ग्रेड वेतन रु0 4800/–)**	शत्–प्रतिशत पदोन्नति द्वारा।
5–	चीफ टेक्नीकल आफिसर (एम0एल0टी0) **(ग्रेड वेतन रु0 5400/–)**	प्रमोशन हेतु निधारित अर्हता की पूर्ति की शर्त के साथ शत्–प्रतिशत पदोन्नति द्वारा।

उक्त विवरण के अनुसार केन्द्र सरकार में संवर्ग में प्रथम स्तर पर जूनियर मेडिकल लैब टैक्नोलॉजिस्ट पदनाम से ग्रेड वेतन रु0 2800/– में तथा द्वितीय स्तर पर मेडिकल लैब टैक्नोलॉजिस्ट पदनाम से ग्रेड वेतन रु0 4200/– में पद उपलब्ध है।

(4) समता समिति(1989) की संस्तुतियों पर केन्द्र में सी0जी0एच0 एस0 के अन्तर्गत डिस्पेन्सरीज़ में उपलब्ध लैब टेक्नीशियन पदों से समकक्षता के आधार पर प्रदेश के लैब टेक्नीशियन के

पदों पर दिनांक 01 जनवरी, 1986 से रू0 1320–2040 (दिनांक 01 जनवरी, 1996 से सामान्य पुनरीक्षित रू0 4000–6000) का वेतनमान अनुमन्य हुआ। तदोपरान्त प्रदेश में लैब टेक्नीशियन के पद पर केन्द्रीय समकक्षता के आधार पर केन्द्र के समान वेतनमान अनुमन्य रहा है। तद्नुसार लैब टेक्नीशियन के पद पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/– निर्धारित हुआ।

(5) वेतन समिति (2008) द्वारा वर्तमान परिवेश में प्रदेश में लैब टेक्नीशियन के पद पर वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/– के स्थान पर उच्चीकृत/संशाधित वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/–अनुमन्य कराने एवं बी0एस0 सी0 (रसायन विज्ञान के साथ) के साथ लैब टेक्नीशियन में डिप्लोमा/प्रमाण पत्र की अर्हता निर्धारित करने तथा सीनियर लैब टेक्नीशियन के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/– के स्थान पर उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड–2 में ग्रेड वेतन रू0 4600/–अनुमन्य कराने की संस्तुति की गयी।

वेतन समिति की उक्त संस्तुति को स्वीकार करने का औचित्य नहीं पाया गया।

(6) उ0प्र0 प्रयोगशाला प्राविधिक संघ द्वारा ज्ञापन दिनांक 23 जनवरी, 2014 द्वारा प्रस्तुत मॉगों पर विचारोपरान्त संस्तुत देने हेतु दिनांक 14 जुलाई, 2014 को मुख्य सचिव समिति की बैठक आहूत हुयी। मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियॉ पर निम्न निर्णय लिये गये :—

(i) वेतन समिति (2008) की लैब टेक्नीशियन संवर्ग के सम्बन्ध में दी गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिये गये सुविचारित निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए लैब टेक्नीशियन संवर्ग के पदों पर वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अनुसार वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य कराने का औचित्य नहीं है।

(ii) वेतन समिति(1997–99)/मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार लैब टेक्नीशियन संवर्ग के सीनियर लैब टेक्नीशियन के पद पर फार्मासिस्ट संवर्ग के चीफ फार्मासिस्ट के समान वेतनमान रू0 5500–9000 अनुमन्य कराया गया। वेतन

समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार चीफ फार्मासिस्ट के पद पर वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/– अनुमन्य कराया गया है। अतः लैब टेक्नीशियन संवर्ग के सीनियर लैब टेक्नीशियन के पद पर तत्काल प्रभाव से उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/– अनुमन्य कराया जाय।

(iii) लैब टेक्नीशियन संवर्ग में उपलब्ध लैब टेक्नीशियन के 2402 पदों में से 200 पदों को वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन के पद में उच्चीकृत किया जाय। इस प्रकार लैब टेक्नीशियन संवर्ग में लैब टेक्नीशियन की संख्या 2202 तथा वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन के संख्या–384 हो जायेगी।

(7) केन्द्र सरकार तथा प्रदेश में लैब टेक्नीशियन सवंर्ग के प्रथम एवं द्वितीय स्तर के पद पर निर्धारित पदनाम, ग्रेड वेतन, अर्हता एवं भर्ती की प्रकिया का तुलनात्मक विवरण निम्नवत् है :––

क0 सं0	केन्द्र सरकार की व्यवस्था		प्रदेश सरकार की व्यवस्था	
	पदनाम (वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन)	भर्ती की प्रकिया/ अर्हता	पदनाम (वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन)	भर्ती की प्रकिया/ अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट (वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/–)	100 प्रतिशत सीधी भर्ती इण्टरमीडिएट विज्ञान तथा मेडिकल लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा के साथ 01 वर्ष का अनुभव।	लैब टेक्नीशियन (वेतन बैण्ड–1 एंव ग्रेड वेतन रू0 2800/–)	75 प्रतिशत सीधी भर्ती। 25 प्रतिशत प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) से पदोन्नति द्वारा। **सीधी भर्ती हेतु अर्हता** इण्टरमीडिएट (विज्ञान) तथा स्टेट मेडिकल फेकल्टी/ महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा प्रदत्त

p.nic.in

				प्रयोगशाला तकनीशियन का डेढ़ वर्षीय प्रमाण पत्र/ डिप्लोमा
2–	मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट (वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/–)	50 प्रतिशत पदोन्नति तथा 50 प्रतिशत सीधी भर्ती । अर्हता–बैचलर डिग्री इन मेडिकल लाइब्रोरेटरी साइंस के साथ 02 वर्ष का अनुभव।	सीनियर लैब टेक्नीशियन (वेतन बैण्ड–2 एंव ग्रेड वेतन रु0 4600/–)	शत प्रतिशत 12 वर्ष की सेवा वाले लैब टेक्नीशियन से पदोन्नति द्वारा।

राज्य सरकार में लैब टेक्नीशियन संवर्ग का दो स्तरीय ढांचा निर्धारित है, जबकि केन्द्र सरकार में उक्त संवर्ग का पॉच स्तरीय ढांचा निर्धारित है। केन्द्र सरकार में संवर्ग में तीसरे स्तर पर टेक्नीकल आफिसर(एम0 एल0टी0) पदनाम से ग्रेड वेतन रु0 4600/– , चौथे स्तर पर सीनियर टेक्नीकल आफिसर (एम0एल0टी0) पदनाम से ग्रेड वेतन रु0 4800/– तथा पॉचवें स्तर पर चीफ टेक्नीकल आफिसर (एम0एल0टी0) पदनाम से ग्रेड वेतन रु0 5400/– के पद निर्धारित हैं। उक्त तीनों स्तर के पदों पर शत्–प्रतिशत पदोन्नति की व्यवस्था है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार में लैब टेक्नीशियन संवर्ग के प्रथम स्तर के पद का समान ग्रेड वेतन रू0 2800/– निर्धारित है, जबकि राज्य सरकार में प्रथम स्तर के पद पर निर्धारित अर्हता की तुलना में केन्द्र में निर्धारित अर्हता में 01 वर्ष के अनुभव की अतिरिक्त अर्हता निर्धारित है।

केन्द्र सरकार में लैब टेक्नीशियन संवर्ग में दूसरे स्तर पर ग्रेड वेतन रू0 4200/– तथा 50 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति एवं 50 प्रतिशत पदों पर बैचलर डिग्री इन मेडिकल लाइब्रोरेटरी साइंस के साथ 02 वर्ष का अनुभव की अर्हता के साथ सीधी भर्ती की व्यवस्था है। तीसरे स्तर पर ग्रेड वेतन रू0 4600/– और शत्–प्रतिशत पदोन्नति की व्यवस्था है। जबकि राज्य सरकार में दूसरे स्तर के पद पर ही शत्– प्रतिशत पदोन्नति की व्यवस्था के साथ ग्रेड वेतन रू0 4600/– निर्धारित है।

up.nic.in

इस प्रकार राज्य सरकार में लैब टेक्नीशियन संवर्ग के प्रथम द्वितीय स्तर के पद की व्यवस्था केन्द्र सरकार के प्रथम एवं द्वितीय स्तर के पद की व्यवस्था से बेहतर है।

(8) पूर्व में भी लैब टेक्नीशियन पर अनुमन्य ग्रेड वेतन रु0 2800/– को उच्चीकृत किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया। संवर्ग में लैब टेक्नीशियन के लिये पदोन्नति के पद सीनियर लैब टेक्नीशियन के पद पर ग्रेड वेतन रु0 4600/– अनुमन्य है, जो केन्द्र सरकार में दूसरे स्तर के पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से उच्च है। इस प्रकार राज्य सरकार में लैब टेक्नीशियन संवर्ग में निर्धारित व्यवस्था केन्द्र में निर्धारित व्यवस्था से भिन्न है।

(9) केन्द्र सरकार से समानता के आधार पर ढांचा निर्धारित किये जाने की स्थिति में राज्य सरकार में दूसरे स्तर पर ग्रेड वेतन रू0 4600/– के स्थान पर ग्रेड वेतन रू0 4200/– तथा तीसरे स्तर पर ग्रेड वेतन रू0 4600/– अनुमन्य कराये जाने की स्थिति बनेगी।

(10) केन्द्रीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की जा चुकी है। सातॅवा केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियॉ दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू होने की सम्भावना है। केन्द्र सरकार द्वारा उक्त आयोग के संस्तुतियों पर निर्णय लिये जाने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा भी अपने कार्मिकों के वेतनमान, भत्तें एवं सुविधाओं के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में यथावश्यकता विचार किया जायेगा।

(11) राज्य सरकार के लैब टेक्नीशियन संवर्ग का ढॉचा केन्द्र सरकार के ढॉचे के समान निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में सभी दृष्टिकोण से गहन परीक्षण करते हुए सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया जाना अपेक्षित होगा। उक्त परिदृश्य में सम्बन्धित प्रकरण प्रदेश में गठित की जाने वाली अगली वेतन समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सकता है।

समिति द्वारा की गयी संवीक्षा

4– उक्त प्रकरण पर विचार विमर्श के आधार पर समिति द्वारा की गयी संवीक्षा निम्नवत् है :––

(1) वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के

अनुसार राज्य सरकार में लैब टेक्नीशियन संवर्ग के प्रथम स्तर पर लैब टेक्नीशियन पदनाम से उपलब्ध पद पर अनुमन्य वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रु0 2800/– को यथावत् बनाये रखा गया और उक्त पद पर उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/– अनुमन्य नहीं कराया गया।

(2) लैब टेक्नीशियन संवर्ग में लैब टेक्नीशियन के पद पर उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/– अनुमन्य कराये जाने के प्रस्ताव/मॉग पर पूर्व में भी इस समिति द्वारा विचारोपरान्त लैब टेक्नीशियन के पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन रु0 2800/– को उच्चीकृत किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

(3) वर्तमान व्यवस्था के अनुसार राज्य सरकार में लैब टेक्नीशियन संवर्ग के प्रथम स्तर के पद लैब टेक्नीशियन पर निर्धारित अर्हता की तुलना में केन्द्र सरकार में लैब टेक्नीशियन संवर्ग के प्रथम स्तर के पद जूनियर मेडिकल लैब टेक्नॉलाजिस्ट पर निर्धारित अर्हता में एक वर्ष के अनुभव की अतिरिक्त अर्हता निर्धारित है। फिर भी राज्य सरकार में लैब टेक्नीशियन के पद पर केन्द्र सरकार के जूनियर मेडिकल लैब टेक्नॉलाजिस्ट के पद के समान वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रु0 2800/– अनुमन्य है। उपर्युक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत राज्य सरकार में लैब टेक्नीशियन संवर्ग में प्रथम स्तर के पद लैब टेक्नीशियन पर वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/– अनुमन्य कराये जाने का अवसर नहीं है।

(4) केन्द्र सरकार में लैब टेक्नीशियन संवर्ग के दूसरे स्तर के पद पर ग्रेड वेतन रु0 4200/–अनुमन्य है तथा 50 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति एवं 50 प्रतिशत पदों पर बैचलर डिग्री इन मेडिकल लाइब्रोरेटरी साइंस के साथ 02 वर्ष का अनुभव की अर्हताधारियों से सीधी भर्ती की व्यवस्था है। जबकि राज्य सरकार में सीनियर लैब टेक्नीशियन के पद पर शत प्रतिशत पदोन्नत की व्यवस्था तथा वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4600/– निर्धारित है। राज्य सरकार में निधारित उक्त व्यवस्था केन्द्र सरकार से भिन्न है।

(5) केन्द्रीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की जा चुकी है। सातॅवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियॉ दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू होने की सम्भावना है। केन्द्र सरकार द्वारा उक्त

आयोग के संस्तुतियों पर निर्णय लिये जाने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा भी अपने कार्मिकों के वेतनमान, भत्ते एवं सुविधाओं के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में यथावश्यकता विचार किया जायेगा।

(6) राज्य सरकार के लैब टेक्नीशियन संवर्ग का ढॉचा केन्द्र सरकार के ढॉचे के समान निर्धारित किये जाने पर राज्य सरकार में संवर्ग के दूसरे स्तर पर ग्रेड वेतन रू0 4600/— के स्थान पर ग्रेड वेतन रू0 4200/— तथा तीसरे स्तर के पद पर ग्रेड वेतन रू0 4600/— अनुमन्य कराये जाने की स्थिति बनेगी। अतः इस सम्बन्ध में सभी दृष्टिकोण से गहन परीक्षण करते हुए सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। उक्त परिदृश्य में सम्बन्धित प्रकरण प्रदेश में गठित की जाने वाली अगली वेतन समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना उचित होगा।

समिति की संस्तुतियॉ

5— उक्त परिदृश्य में सम्यक विचारोपरान्त समिति की संस्तुतियॉ निम्नवत् है :—

(1) वर्तमान व्यवस्था के अनुसार राज्य सरकार में लैब टेक्नीशियन संवर्ग के प्रथम स्तर के पद लैब टेक्नीशियन पर निर्धारित अर्हता की तुलना में केन्द्र सरकार में लैब टेक्नीशियन संवर्ग के प्रथम स्तर के पद जूनियर मेडिकल लैब टेक्नॉलाजिस्ट पर निर्धारित अर्हता में एक वर्ष के अनुभव की अतिरिक्त अर्हता निर्धारित है। फिर भी राज्य सरकार में लैब टेक्नीशियन के पद पर केन्द्र सरकार के जूनियर मेडिकल लैब टेक्नॉलाजिस्ट के पद के समान वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/— अनुमन्य है।

(2) उपर्युक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत राज्य सरकार में लैब टेक्नीशियन संवर्ग के प्रथम स्तर के पद पर वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/— अनुमन्य कराये जाने का अवसर नहीं है। उक्त पद पर वर्तमान में निर्धारित वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/— को यथावत् बनाये रखा जाय।

(3) केन्द्र सरकार में लैब टेक्नीशियन संवर्ग के दूसरे स्तर पर मेडिकल लैब टेक्नॉलाजिस्ट पदनाम से उपलब्ध पद पर ग्रेड वेतन रू0 4200/—अनुमन्य है तथा 50 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति एवं 50 प्रतिशत पदों पर बैचलर डिग्री इन मेडिकल

लाइब्रोरेटरी साइंस के साथ 02 वर्ष का अनुभव की अर्हताधारियों से सीधी भर्ती की व्यवस्था है। जबकि राज्य सरकार में सीनियर लैब टेक्नीशियन पदनाम से उपलब्ध दूसरे स्तर के पद पर शत प्रतिशत पदोन्नत की व्यवस्था तथा वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/– निर्धारित है। उक्त व्यवस्था केन्द्र सरकार से भिन्न है।

(4) केन्द्रीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की जा चुकी है। सातॅवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियॉ दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू होने की सम्भावना है। केन्द्र सरकार द्वारा उक्त आयोग के संस्तुतियों पर निर्णय लिये जाने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा भी अपने कार्मिकों के वेतनमान, भत्तें एवं सुविधाओं के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में यथावश्यकता विचार किया जायेगा।

(5) राज्य सरकार के लैब टेक्नीशियन संवर्ग का ढॉचा केन्द्र सरकार के ढॉचे के समान निर्धारित किये जाने पर राज्य सरकार में संवर्ग के दूसरे स्तर पर ग्रेड वेतन रू0 4600/– के स्थान पर ग्रेड वेतन रू0 4200/– तथा तीसरे स्तर के पद पर ग्रेड वेतन रू0 4600/– अनुमन्य कराये जाने की स्थिति बनेगी। अतः इस सम्बन्ध में सभी दृष्टिकोण से गहन परीक्षण करते हुए सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। उक्त परिदृश्य में सम्बन्धित प्रकरण प्रदेश में गठित की जाने वाली अगली वेतन समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना उचित होगा।

(राहुल भटनागर)	(राजीव कुमार)	(अरविन्द कुमार)	(अजय अग्रवाल)
सदस्य।	सदस्य।	सदस्य।	सदस्य सचिव।

(आलोक रंजन)
अध्यक्ष।

दिनांकः 17 दिसम्बर, 2015।